



बिहार सरकार

पत्र सं०-सं०का०-1/वि०मं०(समिति)-02-02-2019-554/

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिलाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-25.05.2026

विषय : बिहार विधान मंडल के अन्तर्गत गठित समितियों की बैठकों में भाग लेने एवं बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक-237, दिनांक-05.04.1999, पत्रांक-355, दिनांक-26.05.2000, पत्रांक-1322, दिनांक-03.08.2007, पत्रांक-3474, दिनांक-22.12.2009, पत्रांक-454, दिनांक-14.03.2011, पत्रांक-561, दिनांक-14.07.2015, पत्रांक-642 दिनांक-18.09.2018, पत्रांक-338, दिनांक-07.05.2019, पत्रांक-504, दिनांक-14.06.2023 तथा पत्रांक-885, दिनांक-07.11.2023 के माध्यम से सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया है कि बिहार विधान मंडल के अन्तर्गत गठित समितियों की बैठकों में निश्चित रूप से भाग लिया जाय। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश विभागीय प्रधान बैठक में भाग लेने में असमर्थ हों तो इसकी सूचना विधान सभा/परिषद् सचिवालय को देते हुए वैसे पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया जाय, जिन्हें विषयवस्तु की पूर्ण जानकारी हो। इस विषय पर पूर्व में दिये गये निदेशों के बावजूद बिहार विधान सभा सचिवालय एवं बिहार विधान परिषद् सचिवालय से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा विभाग के अधीनस्थ निगम के प्रबंध निदेशक बैठकों में भाग नहीं लेते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पुनः निदेश दिया जाता है कि :-

- (i) सभी विभागों में बिहार विधान मंडल के विभिन्न समितियों से संबंधित लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यान्वयन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
- (ii) लोक लेखा समिति से संबंधित महालेखाकार के प्रतिवेदनों की कंडिकाओं पर कार्रवाई प्रतिवेदन 30 प्रतियों में बैठक की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सभा सचिवालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

- (iii) अपने विभाग से संबंधित लंबित आश्वासनों का अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से ससमय प्रेषित किया जाय।
- (iv) यदि विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव किसी कारणवश समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं तो कारण दर्शाते हुए विभाग के दूसरे वरीय पदाधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून) के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने हेतु बैठक की तिथि से एक सप्ताह पूर्व विधान सभा/परिषद् सचिवालय को अनुरोध पत्र भेजा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विभागीय प्रतिनिधि सचिवालय के पदाधिकारी हों तथा विषय के जानकार हों। उनकी सहायता के लिए निदेशालय के पदाधिकारी साथ जा सकते हैं, परन्तु प्रतिनिधित्व सचिवालय के पदाधिकारी ही करेंगे।
- (v) समिति को भेजा जानेवाला उत्तर तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट हो एवं उसके साथ सभी आवश्यक अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न रहे। लोक लेखा समिति से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति महालेखाकार एवं वित्त विभाग को भी भेजी जाय।
- (vi) लोक लेखा समिति से संबंधित विभागवार लंबित कंडिकाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण वित्त विभाग अपने स्तर से नियमित रूप से करे। निदेश दिया जाता है कि बिहार विधान मंडल के अन्तर्गत गठित समितियों की बैठकों में भाग लेने एवं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के संबंध में उक्त पत्र में दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

25.5.2026
(प्रत्यय अमृत)